राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः—मुसप्र/2019/1077 दिनांकः—11/2/19

आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड अजमेर/उप आवासन आयुक्त वृत्त—द्वितीय जयपुर के अधीन वैशाली नगर योजना, पंचशील योजना, अजमेर में वर्णित 2 स्वतंत्र आवासो को (रेण्टल स्किम) से प्रथृक कर उनका निस्तारण नीलामी के माध्यम से किये जाने के सबंध में मण्डल की 218वीं बैठक दिनांक 24.04.2013 के निर्णय बिन्दु संख्या 218.87 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 944 दिनांक 25.06.2013 की पालना एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर निर्देशानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृती एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने वाले आवासो का विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र.सं.	आय वर्ग	योजना	आवास संख्या	कुल
1	उच्च आय वर्ग	वैशाली नगर, अजमेर	2 ग 18	1
2	मध्यम आय वर्ग—ब	पंचशील, अजमेर	2/280	1
कुल				2

संबधित उप आवासन आयुक्त एंव अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता उक्त आवासो का निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित करें:

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के ज़रिये याचिका को आवास/फ्लेट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी येाग्य सभी आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014—15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावें।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार—प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन /शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त का पैरा संख्या 36/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

PTO

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता –प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा पबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6 उप आवासन आयुक्त, रा0 आ0म0 ,वृत–द्वितीय जयपुर ।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड–अजमेर ,रा0 आ0म0 अजमेर।
8. सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रंबधक